समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–12/2022–23
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
दिनेश प्रसाद केशरी
–::आदेश::–

20.02.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–08/2022, दिनांक–08.06.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि सेक्टर–12 थाना कांड सं0–79/2021, दिनांक–17.08.2021, धारा–379 भा0द0वि0 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा–21 के अन्तर्गत जप्त ट्रक रजि0सं0–JH02T-5237 एवं उस पर लदा करीब 25.17 MT अवैध कच्चा कोयला, वाहन मालिक श्री दिनेश प्रसाद केशरी, पिता स्व0 शिवनारायण प्रसाद केशरी, सा0–कुजू, थाना–कुजू, जिला रामगढ़ के विरूद्ध अवैध खनन एवं परिवहन के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप जप्त वाहन एवं कोयला को The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम मे राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया। विपक्षी पिछले नौ तिथियों से सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित है।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक–17.08.2021 को जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो अपने कर्मियों के साथ अवैध खनन एवं परिवहन का औचक निरीक्षण के लिए निकले थे और औचक निरीक्षण एन0एच0 23 पुलिस केन्द्र बोकारो के बगल में करने लगे। इसी क्रम में एक ट्रक सं0– JH02T-5237 आया जिसे रूकने का इशारा करने पर रूका तो जाँच किया गया। जाँच के दौरान पाया गया कि वाहन में करीब 25.17 MT अवैध कच्चा कोयला लोड था। वाहन के चालक के द्वारा लदे कोयले के संबंध में कागजात माँगे जाने पर संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया और न ही कोई कागजात प्रस्तुत किया गया। फलस्वरूप

20.2.23

विधिवत रूप से जप्ती सूची बनाकर वाहन एवं कोयले को जप्त किया गया। अवैध तरीके से कोयले का परिवहन करना संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से कोयले का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी श्री दिनेश प्रसाद केशरी, पिता स्व0 शिवनारायण प्रसाद केशरी, सा0–कुजू, थाना–कुजू, जिला रामगढ़ पिछले कई तिथियों से सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित है। उनकें के द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा/लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने बचाव में कुछ भी नहीं कहना है।

वर्णित परिस्थिति में विद्वान सरकारी अधिवक्ता की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षी के द्वारा बिना वैध कागजात के ही कोयले का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। कोयले के अवैध उत्खनन कर परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है एवं सरकारी सम्पत्ति की अवैध विनियमन में विपक्षी की संलिप्तता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–08/2022, दिनांक–08.06.2022 को स्वीकृत करते हुए सेक्टर–12 थाना कांड सं0–79/2021, दिनांक–17.09.2021, धारा–370 भा0द0वि0 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा–21 के अन्तर्गत जप्त ट्रक रजि0सं0–JH02T-5237 एवं उस पर लदा करीब 25.17 MT अवैध कच्चा कोयला का परिवहन करने के आरोप में राज्य सरकार के हित में राजसात् किया जाता है एव वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

20.2.23
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

20.2.23
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.16 16:31:17 +05:30
Location: 192.168.1.103